

तापमान		
भोपाल	26.0°	39.0°
इंदौर	26.0°	36.0°
जबलपुर	27.0°	36.0°
ग्वालियर	30.0°	41.0°
सागर	25.0°	36.0°

नई दुनिया

वर्ष- 80
(भोपाल: वर्ष 41 अंक 203, पृष्ठ 12)
ज्येष्ठ, शुक्ल सप्तमी संवत् 2083
रविवार, 21 जून 2026
कीमत: 3:00 रुपये

www.naiduniaonline.com भोपाल संस्करण भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... राष्ट्रपति मुर्मू का ड्रमना विमानतल पर हुआ ...

खेल... फीफा विश्वकप में दिग्गजों को टक्कर दे रहे युवा ...

व्यापार... नोवो नॉर्डिस्क के सिस्टम में सेंधमारी, हैकर्स ने ...

अंचल... विधायक व जिलाधिकारी ने दिखाई हरी ...

रेलवे ने किए कई बड़े फैसले, अब ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर भरना होगा दोगुना जुर्माना

नई दुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने अपराध और नियमों के उल्लंघनों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। नए आदेश के तहत अब सीधे मुकदमा नहीं होगा बल्कि पहले पेनल्टी लगाई जाएगी और अगर पेनल्टी नहीं भरी गई तब मामला अदालत में जाएगा। जानकारी के अनुसार, सरकार ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 और 138 में बदलाव किए हैं। इसके तहत अब न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अब यदि कोई यात्री बिना टिकट, बिना वैध पास या अधिकृत दूरी से आगे यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे पहले की तुलना में दोगुना न्यूनतम पेनल्टी भरना होगा। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बिना उचित टिकट या पास के यात्रा करता है तो उसपर जुर्माना और सजा होगी। पहले की व्यवस्था में न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये और अधिकतम 6 महीने तक की जेल या 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों होती थी। इसके अलावा यात्रा किए गए के अलावा अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ता था। नए आदेश के तहत अब न्यूनतम जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। अधिकतम सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है जबकि अतिरिक्त शुल्क और किराया वसूली की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। नए बदलाव के तहत अब रेलवे ने फैसला किया है कि खतरनाक वस्तुएं ले जाने पर कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, किसी अन्य व्यक्ति के नाम का टिकट लेकर यात्रा करने पर टिकट जब्त होगा और यात्री को टिकट का किराया और कम से कम 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बिना लाइसेंस सामान बेचने, फेरी लगाने या रेलवे परिसर में भीख मांगने पर 2,000 रुपये तक की पेनल्टी लगेगी। वहीं, नियम का बार-बार उल्लंघन करने पर जेल और अधिक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। नए नियम के तहत अब ट्रेन या स्टेशन पर नशे में यात्रियों को परेशान करने पर टिकट जब्त किया जा सकता है।

देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में 5000 से अधिक परीक्षा केंद्र नीट-यूजी पुनर्परीक्षा आज, 22.79 लाख अभ्यर्थी होंगे सम्मिलित

दो लाख से अधिक कर्मी तैनात, अभ्यर्थियों से अफवाहों से दूर रहने की अपील

नई दुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: नीट-यूजी पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी, जिसमें 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए देश के 551 शहरों तथा विदेश के 14 शहरों में पांच हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अनुसार परीक्षा संचालन के लिए दो लाख से अधिक कर्मी, 674 नगर समन्वयक और 6,669 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 5:15 बजे तक कलम और कागज पद्धति से आयोजित होगी। दिव्यांग और विशेष रूप से सक्षम पात्र अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा तथा उन्हें शाम 6:20 बजे तक परीक्षा देने की अनुमति होगी। तीन मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा के बाद कई राज्यों से प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने नया प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है, उन्हें दोबारा डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तीन मई को जारी प्रवेश पत्र अब मान्य नहीं होंगे, क्योंकि कई अभ्यर्थियों को नए परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। परीक्षा की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रश्नपत्र और अन्य गोपनीय सामग्री सीलबंद व्यवस्था के तहत परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी। सामग्री ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस निगरानी होगी तथा उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी निगरानी में रहेंगे और उनकी सीधी निगरानी केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से की जाएगी। मान्य नहीं होंगे, क्योंकि कई अभ्यर्थियों को नए परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। परीक्षा की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रश्नपत्र और अन्य गोपनीय सामग्री सीलबंद व्यवस्था के तहत परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी। सामग्री ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस निगरानी होगी तथा उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी निगरानी में रहेंगे और उनकी सीधी निगरानी केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से की जाएगी।

केंद्र आवंटन में गड़बड़ी सुधारी

नीट-यूजी पुनर्परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र आवंटन में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। नागपुर के एक छात्र को अबु धाबी स्थित भारतीय विद्यालय में परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया, जबकि उसके पास पासपोर्ट नहीं था। शिकायत के बाद केंद्र नागपुर कर दिया गया। इसी तरह भुवनेश्वर की एक छात्रा को देहरादून केंद्र मिला, जिसे बाद में सुधार दिया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अभ्यर्थियों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही संदिग्ध संदेशों और गतिविधियों की जानकारी संबंधित एजेंसियों को देने को कहा गया है।

मंदिर की छत ढहने से 7 की मौत, 25 घायल फोरलेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनेगा विकास का पर्याय: डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने 5,657 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात

नई दुनिया ब्यूरो, इंदौर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के चंद्रावतीगंज में इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर परियोजना का भूमि-पूजन किया। इस अवसर पर 5,657 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लगभग 48 किलोमीटर लंबे फोरलेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण 2,935 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। यह मार्ग इंदौर के पितृ पर्वत क्षेत्र से उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर के समीप सिंहस्थ बायपास तक पहुंचेगा।

हादसे के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने तुरंत मलबा हटाकर दबे लोगों को निकालने का प्रयास शुरू किया। बाद में पुलिस, प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन के अनुसार हादसे में कुल 32 लोग प्रभावित हुए। इनमें से सात लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 25 घायल हुए हैं। प्रशासन ने बताया कि निर्माणाधीन सभा मंडप पथरों से बनाया जा रहा था। मंडप के ढहने से भारी पत्थर श्रद्धालुओं पर गिर गए, जिससे उन्हें संभलने का अवसर नहीं मिला।

कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन

नई दुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शनिवार को निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी जारी रहा। प्रदर्शन की अनुमति शाम पांच बजे तक थी, लेकिन संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपक सहित कार्यकर्ता देर शाम तक डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने थाली बजाकर शिक्षा मंत्री धर्मदेव प्रधान के विरोध में नारे लगाए। समय सीमा समाप्त होने के बाद पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से स्थल खाली करने को कहा। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है।

इसके निर्माण से इंदौर और उज्जैन के बीच आवागमन सुगम होगा तथा सिंहस्थ-2028 में आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना उज्जैन, सांवेर और इंदौर क्षेत्र के विकास का नया पर्याय बनेगी तथा उद्योग, व्यापार, कृषि और रोजगार को गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट सुरक्षा अभियान का भी शुभारंभ किया और हितग्राहियों को हेलमेट वितरित किए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 42 हजार से अधिक आवासों का भूमि-पूजन किया गया, जबकि 38 हजार आवासों में गृह-प्रवेश कराया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विकास परियोजनाओं का स्थानित किया है। प्रदेश के लगभग 14 लाख किसानों से गेहूं उपार्जित कर प्रति किंटल 2,625 रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान, महिला और गरीब कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री

इजराइल ने महज आठ घंटे में तोड़ा युद्धविराम, लेबनान पर फिर हमले

ड्रोन और तोपों से हमले में 16 लोगों की मौत, नेतन्याहू बोले- अभियान जारी रहेगा

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी, **उज्जैन:** इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शुरूवात को हुए युद्धविराम समझौते के महज आठ घंटे बाद ही दक्षिणी लेबनान में फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई। इजराइली सेना ने ड्रोन और तोपों के जरिए नवतियेह क्षेत्र में हमला किया, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि गाजा और लेबनान में इजराइल के सैन्य अभियान आगे भी जारी रहेंगे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य अधिकारियों ने कहा कि अगले 60 दिनों तक इरान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच भी बातचीत हुई।

केन्द्र सरकार ने 16 दवा काम्बिनेशन पर लगाई रोक

प्रतिबंध

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- लाम से अधिक जोखिम, मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता...

नई दुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देशभर में 16 निश्चित मात्रा दवा काम्बिनेशन के निर्माण, वितरण, बिक्री और आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन दवाओं से मरीजों को होने वाले संभावित लाभ की तुलना में जोखिम अधिक पाए गए हैं तथा इनके उपयोग से उपचार संबंधी कोई विशेष फायदा सामने नहीं आया है। मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दवाओं के वैज्ञानिक एवं जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का मानना है कि बाजार में केवल वही दवाएं उपलब्ध रहनी चाहिए जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, सुरक्षित और प्रभावी हों। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा विभिन्न दवा संयोजनों की विस्तृत समीक्षा के आधार पर लिया गया है। इसके लिए औषधि तकनीकी सलाहकार मंडल द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति ने कई दवा काम्बिनेशन की जांच की और कुछ को अवैज्ञानिक, उपचार की दृष्टि से अनावश्यक तथा मरीजों के लिए संभावित रूप से हानिकारक पाया। यह प्रतिबंध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से लागू किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि पूर्व में भी वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर कई गैर-तर्कसंगत दवा संयोजनों पर रोक लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों, नियामक संस्थाओं तथा प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि प्रतिबंध संबंधी आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही दवा निर्माता, आयातक, वितरक और अन्य संबंधित पक्षों को भी कानून के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार निश्चित मात्रा दवा काम्बिनेशन वे औषधियां होती हैं जिनमें दो या अधिक सक्रिय औषधीय घटक को निर्धारित अनुपात में एक ही गोली, कैप्सूल अथवा सिरप में मिलाया जाता है। कई स्थितियों में ऐसे संयोजन उपचार को सरल बनाते हैं और मरीज को अलग-अलग दवाएं लेने की आवश्यकता कम होती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सभी दवा काम्बिनेशन वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होते। बिना पर्याप्त शोध या चिकित्सकीय आवश्यकता के विभिन्न दवाओं को एक साथ मिलाने से दुष्प्रभावों का खतरा बढ़ सकता है। इससे दवा का प्रभाव भी कम हो सकता है और किसी समस्या की स्थिति में यह पहचानना कठिन हो जाता है कि उसका कारण कौन-सी दवा है। ऐसे जोखिमों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

